16/04/25 आज यह पत्रावली वकलाय के कार्य स्थगित होने के पश्चात पेशी पर ली गई। फरीकैन के वकलाय उप० पत्रावली में गत दिनांक 06/04/2025 बहस सुनी जा चुकी है। वकलाय की उपस्थिति में पत्रावली का अध्ययन किया गया तथा गहन मनन किया गया। अतः प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 144 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार की जाती है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शा० नि० किया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

2. महिपाल पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर निवासी ग्रासम जखराना पटवार हल्का जखराना कलां तहसील तहसील बहरोड़
3. विजयपाल पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम जखराना पटवार हल्का जखराना कलां तहसील बहरोड़
4. सुबेसिह पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम जखराना पटवार हलक जखराना कलां तहसील बहरोड़ .... **प्रार्थीगण**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलैक्टर महोदय कोटपूतली–बहरोड राज.
2. तहसीलदार बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़।
3. संरपंच ग्राम पंचायत जखराना पंचायत समिति बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
4. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जखराना तहसील बहरोड़। ....**प्रतिवादीगण**

प्रार्थना पत्रअन्तर्गत धारा 144 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. बाबत खसरा नम्बर 148 व 390 वाके ग्राम जखराना खुर्द आदेश श्रीमान दिनांक 17.12. 2021 अनुपालना में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के बादेश दिनांक 7112/2022 बअनुवान उदय सिंह वगैराह बनाम स्टेट आफफ राजस्थान पारित निर्णय की अनुपालना में किये जाने मंजूर प्रार्थना पत्र व कायम किये जाने राजस्व रिकार्ड व मौका पर दिनांक 17.12.2021 से पूर्व की स्थिति।

उपस्थित :–

1. श्री रोहिताश्व कुामर यादव अधिवक्ता प्रार्थी।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते निर्णय हेतु पेश कि गई। वकुलाय उपस्थित है। हमारे द्वारा वकुलाय की बस सुनी तथा पत्रावली अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रसतुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 248 रकबा 0.79 ,379 रकबा 1.13 हैक्टैयर वाके ग्राम जखराना खुर्द तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान में स्थित है। जो आराजीयात हम प्रार्थीगण की बहिस्सा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की इन आराजीयात में से कभी भी गै.मु. रास्ता नही नही रहा बल्कि हम प्रार्थीगण ने अपनी उपरोक्त कब्जे काश्त खातदेरी के आराजीयात के चारो तरफ पत्थरो की चारदीवारी की हुई है। व अपनी इस भूमि पर दीवार के साथ लगते हुये पेड लगाये हुये है व मकान बनाये हुये है। यहां भी निवेदन है कि हम प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की इन आराजीयात से लगती हुई पगडंडी है। जिसमें कदीम से हम प्रार्थीगण अपने बुजुर्गो के फुट स्टेप पर अपनी खातदेारी की इस भूमि में आते रहे है। इसी प्रकार से अन्य लोग भी अपने खेतो में आते जाते रहे है। ग्राम पंचायत जखराना ने हम प्रार्थीगण को बिना सुने व बिना सुनवाई का अवसर प्रदान

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

किये व बिना हमें नोटिस जारी किये प्राकृतिक न्याया के सिद्धान्तो की अवेहलना करते हुये हम प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 248 व 390 को दीगर व्यक्तियो की खातेदारी की भूमि के साथ सम्मलित करते राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज करवाने हेतु ग्राम पंचायत पाकसीक बैइक 17.12.2021 के प्रस्ताव संख्या 4 द्वारा अनुमोदित करती है। ग्राम पंचायत को इसमें कोई आपत्ति नही होना प्रकट करते हुये इस प्रसताव की काफपी के साथ कार्यालय तहसीलदार भू–अभिलेख बहरोड़ को लिखा। जिस पर तहसीलदार बहरोड के द्वारा दिनांक 17.12.2021 को ही हल्का पटवारी जखराना भू–अभिलेख निरीक्षक जखराना व तहसीलदार बहरोड द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि के खसरा नम्बर 248 व 390 की बावत दीगर व्यक्तियो के खातेदारी की भूमि के साथ ही एक साइक्लो स्टाइल छपा हुआ प्रफोर्मा भर कर बनावटी रिपोर्ट तैयार कर उक्त खसरा नम्बर मे से कच्च रास्ता के रू॰ में एवं कदीमी रू॰ से चाले होना प्रकट कर स्थाई प्रकृति का यह रास्ता नरेगा/पी.एम.जे एस.वाई/पी.डब्ल्यू डी /धारा 251 आर.टी.ए. के तहत चाले रास्ते के तहत निर्मित या के अधीन आता है यह रास्ता खसरा नम्बर 248 से 323 तक जाता है। जिसकी सूची पृथक से संलग्न है। संलग्न सूची अनुसार पृथक से बटा नम्बर बनाया जाकर शिवायचक गै.मु. रास्ता/ खातेदार की खातेदारी में गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किया जावेगा, कार्यवाही की है। उसके पश्चात दिनांक 17.12.2021 को ही कार्यालय तहसीलदार भू–अभिलेख बहरोड में जरिये क्रमांक/पी. के.जी/21/202 दिंनाक 17.12.2021 को आप श्रीमान उपखणड अधिकारी बहरोड़ को प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी के साथ मौके पर चालू स्थाई रास्ता–डामर/कच्चा रास्ता/कदीमी/ग्रेवल रास्ता अंकित करने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु मूल प्रस्ताव आपके समक्ष भिजवाने की कार्यवाही प्रदान करने हेतु मूल पस्ताव आपके समक्ष भ्झिजवाने की कार्यवाही की है। जिस पर आप श्रीमान द्वारा दिनांक 17.12.2021 को ही प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 248 व 390 में क्रमंश0.0380 व 0.0210 गै. मु. रास्ता हम प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज करने की आज्ञा पारित की है। जिस आज्ञा दिनांक 17.12.2021 की अनुपालना में खसरा नम्बर नम्बर 248 में नया बठा नम्बर डालकर 754/248 रकबा 0.0380 में नाजायज रूप से हम प्रार्थीगण को बिना नोटिस दिये ,बिना सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किये सरपंच ग्राम पंचायत जखराना से मिल्लत कर के हम प्रार्थीगण के खते खसरा नम्बर 248 की रास्ता से लगती हुई चारदीवारी जबरन तोड दी व उसमें नाजायज तरीके से ग्रामव सडक बना दी व खसरा नम्बर 390 वाके ग्राम जखराना खुर्द में नया बटा नम्बर 776/390 रकबा 0.0210 कायम करने की बैजा आज्ञा पारित की है व कार्यवाही की है। जिन सभी आज्ञाओ के खिलाफ हम प्रार्थीगण ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के समक्ष एस.बी.सिविल रीठ पिटीशन नम्बर 7112/2022 बअनवान उदयसिंह बगैराह बनाम राजस्थान राज प्रस्तुत की। जिसमें माननीय राजरथान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकस 14.02.2024 को निर्णय पारित करते हुये जो आप श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ द्वारा दिनांक 17.12.2021 को प्रकरण संख्या 202/2021 में पारित की है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 248 रकबा 0.79 व खसरा नम्बर 390 रकबा 1.13 वाके ग्राम जखराना खुर्द में से खसरा नम्बर 248 में 754/248 रकबा 0.0380 गै.मु. रास्ता कायम कर हम प्रार्थीगण द्वारा अरसा लगभग 30 वर्ष पूर्व दी गई चारदीवारी को तोडकर में ग्रेवल सडक नाजायज रू॰ से बना दी व खसरा नम्बर 390 रकबा 1.13 वाके ग्राम जखराना खुर्द में से खसरा नम्बर 248 में 754/248 रकबा 0.0380 गै. मु. रास्ता कायम कर हम प्रार्थीगण द्वारा अरसा 30 वर्ष पूर्व दी गई चारदीवारी को तोडकर में ग्रेवल सडक नाजायज रूप से बना दी व खसरा नम्बर 390 रकबा 1.13 हैक्टेयर में से 0.0210 हैक्टेयर रकबा गै. मु. रास्ते में कायम कर नया

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

नम्बर 776/390 रकबा 0.0210 राजरव नक्शा व जमाबन्दीयात में नाजायज रूप से दर्ज कर दिया। ऐसी सूरत में श्रीमन के मूल आदेश दिनांक 17.12.2021 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त करार दिया जाकर कुल कार्यवाही को खारिज करने की आज्ञा प्रदान की है। ऐसी सूरत में हम प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खसरा नमबर 248 रकबा 0.79 व खसरा नमबर 390 रकबा 1.13 वाके ग्राम जखराना खुर्द की आज्ञा दिनांक 17.12.2021 को पूर्व की स्थिति कायम किया जाना न्याय संगत है। श्रीमान से प्रार्थना है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 14.12.2024 एस.बी.सिविल रीट पिटीशन नम्बर 7112/2022 बअनुवान उदयसिंह वगैराह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य अनुपालना में एस.डी.ओ बहरोड द्वारा प्रकरण संख्या 202/2021 आाा दिनांक 17.12.2021 के आधार पर प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 248 रकबा 0.79 हैक्टेयर व 390 रकबा 1.13 हैक्टेयर वाके ग्राम जखराना खुर्द तहसील बहरोड की बाबत राजस्व रिकार्ड नक्शा व जमाबन्दीयात मे नया नमबर 754/248 रकबा 0.0380 व 776/390 रकबा 0.0210 वाकै ग्राम जखराना खुर्द कायम किये है, उन्हे निरस्त करार दियसा जाकर दिनंका 17.12.2021 से पूर्व की जमाबन्दी व नक्शा ट्रेश में दर्ज करवाया जावे व इस गलत आज्ञा व कार्यवाही के आधार पर खसरा नम्बर 248 व 390 में प्रार्थीगण द्वारा निर्मित चारदीवारी को अप्रार्थीगण ने दिनांक 17.12.2021 की आज्ञा के आधार पर धवस्त कर उसमें ग्रेवल सडक बनाने का जो कार्रू किया है, व ग्रेवल सडक अप्रार्थीगण से उनके खर्चे पर हटवायी जाकर अप्रार्थीगण से पुनः प्रार्थीगण की भूमि की चारदीवारी करवाई जाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी ने जवाब पेश नही किया जिससे इनका जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

हमारे द्वारा वकुलाय की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.02.2024 से इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 17.12.2021 को निरस्त कर दिया है। जिसके अन्तर्गत प्रार्थीगण द्वारा राजस्व अभिलेख की स्थिति को आदेश दिनांक 17.12.2021 से पूर्व की बहाल किये जाने हेतु यह प्रार्थाना पत्र पेश किया है। अप्रार्थीगण द्वारा बाद सूचना कोई जवाब पेश नही किया है। इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 17.12.2021 निरस्त हो चुका है। प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। तहसीलदार बहरोड़ को आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 248 रकबा 0.79 हैक्टेयर व 390 रकबा 1.13 हैक्टेयर वाके ग्राम जखराना खुर्द तहसील बहरोड की बाबत राजस्व रिकार्ड नक्शा व जमाबन्दीयात मे नया नमबर 754/248 रकबा 0.0380 व 776/390 रकबा 0.0210 वाकै ग्राम जखराना खुर्द कायम किये है, को निरस्त कर खसरा नम्बर 248 रकबा 0.79 व 390 रकबा 1.13 है0 वाके ग्राम जखराना खुर्द तहसील बहरोड की स्थिति आदेश दिनांक 17.12.2021 की पूर्व की बहाल की जावे। अहकाम बनाम तहसीलदार बहरोड वास्ते पालना जारी किया जावे।

आज दिनांक ...16.04.2025... को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (कोटपूतली–बहरोड)राज
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)